



NSE

National Stock Exchange of India Limited

'Exchange Plaza', Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

जाहीर नोटीस

SEBI (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) रेग्युलेशन, 2021 के विनियम 32(5)(ए) के साथ पठित SEBI (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) रेग्युलेशन, 2009 के विनियम 22(6) के अनुसार कंपनियों के इक्विटी शेयर्स की अनिवार्य असूचीबद्धता के लिए सार्वजनिक सूचना

अब यह नोटिस दिया गया है कि सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) रेग्युलेशन, 2021 के विनियम 32(5)(ए) के साथ पठित सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) रेग्युलेशन, 2009 के विनियम 22(6), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 21ए, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957, और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, (एक्सचेंज) के उपनियमों एवं विनियमों के अनुसार, कंपनी के इक्विटी शेयर्स को असूचीबद्ध करने (लेन-देन में प्रवेश को वापस लेने) का निर्णय लिया गया है जो 24 सितंबर 2021 से प्रभावी हो रहा है.

परिसमापन के कारण अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध की गई कंपनी

कंपनी का नाम	*कंपनी का पता
गुजरात एनआरई कोक लि. # (प्रतीक : "GUJNRECOKE" एवं "GUJNREDVR")	22, कैमेक स्ट्रीट, ब्लॉक - सी, 5वी मंजिल, कोलकाता - 700016
* यह पता, एक्सचेंज के रिकॉर्ड्स अनुसार उपलब्ध ह # परिसमापन के कारण असूचीबद्ध की गई कंपनी	

टिप्पणियां :

अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध करने के परिणामों के निम्नलिखित शामिल हैं:

ए. असूचीबद्धता (डिलिस्टिंग) विनियम के विनियम 24 के अनुसार, असूचीबद्ध कंपनी, इसके पूर्णकालिक निदेशक, संप्रवर्तक, और सामूहिक कंपनियों को अनिवार्य असूचीबद्धता की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के लिए सिक्युरिटी मार्केट तक पहुंच से वंचित कर दिया जाएगा.

बी. सार्वजनिक शेयरधारकों को निकास का अवसर देने और उचित कीमत लगाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी देने का दायित्व कंपनी के संप्रवर्तकों पर है. यदि संप्रवर्तक द्वारा निकास नहीं दिया जाता है तो उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी.

यह कंपनी परिसमापन के तहत है और इसलिए:

ए. सेबी परिपत्र क्रं. सेबी/एचओ/सीएफडी/डीसीआर/सीआईआर/पी/2016/81 दिनांकित 07 सितंबर, 2016 का प्रावधान, इस कंपनी पर लागू नहीं होता है.

बी. परिसमापन के तहत वाली कंपनियों के लिए, निम्नलिखित मामलों में सेबी से नीचे दिए गए निर्देश प्राप्त हुए हैं:

1. यदि कंपनी को अस्थायी परिसमापक की नियुक्ति या बंद करने के आदेश से पहले अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध कर दिया गया है तो असूचीबद्धता (डिलिस्टिंग) विनियम के विनियम 24 में दिया गया प्रतिबंध लागू होगा.
2. यदि कंपनी को अस्थायी परिसमापक की नियुक्ति या बंद करने के आदेश से पहले अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध नहीं किया गया है तो असूचीबद्धता की प्रक्रिया कानूनी कार्यवाही द्वारा होगी और असूचीबद्धता (डिलिस्टिंग) विनियम के विनियम 24 में दिया गया प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

कोई भी प्रश्न यहाँ संबोधित किया जा सकता है: **असूचीकरण समिति**, प्रवर्तन विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, 'एक्सचेंज प्लाज़ा', सी-1, ब्लॉक-जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051. संपर्क नं. : +91 22 26598100 (23402/25061/25123), ई-मेल : compliance_listinginfo@nse.co.in

स्थान : मुंबई

दिनांक : 24 सितंबर, 2021



Nifty50